राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :—6 ए/2023
रजू दिनांक :—12.01.2023
निर्णय दिनांक:— 23.05.2024

उनवान

1. सुन्दरदेवी पत्नी रामफूल मीना
2. नमोनारायण मीना
3. काशीराम मीना
4. बद्रीनारायण मीना
5. दीपक मीना
6. तारचन्द मीना पुत्रान रामफूल मीना जातियान मीना निवासीयान ग्राम भटेसरी तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल जयपुर ग्रामीण।

वादीगण/ अप्रार्थीगण।

बनाम

1. नात्थी देवी पत्नी रामकल्याण पुत्रवधू रामकुवांर मीना
2. शंकर पुत्र रामकल्याण पोत्र रामकुवांर मीना
3. मनमोहन मोहन पुत्र रामकल्याण पोत्र रामकुवांर मीना
4. सीमा देवी पुत्री रामकल्याण पोत्र रामकुवांर मीना
5. निधि देवी पुत्री रामकल्याण पौत्री रामकुवांर मीना जातियान मीना निवासीयान ग्राम भटेसरी तह0 बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण।
6. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण।
7. सब रजिस्टटार बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण।

दावा घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा।
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0।

उपस्थिति :—श्री विनोद कुमार शर्मा एड0 वादीगण/ अप्रार्थीगण की ओर से।
श्री कुलदीप किशोर शर्मा एड0 प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण की ओर से।

दिनांक:—23.05.2024

आज पत्रावली पेश हुई प्रा0पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:—

वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 22/0.4173, 41/04.2234 कुल किता 02 कुल रकबा 04.6407 हैक्टेयर वाकें ग्राम भटेसरी तहसील बस्सी के मूल खातेदार मंगला पुत्र घासी मीना निवासी भटेसरी थे मंगला व उसकी पत्नी के कोई पुत्र पुत्री संतान नही हुई अर्थात मंगला नाओलाद फौत हुआ है मंगला अपनी पत्नी सहित वादीगण के पिता रामफूल के पास रहता था तथा रामफूल ही उसके परिवार के मध्यम से खेती करता था तथा रामफूल की मंगला व उसकी पत्नी की देख भाल करता था। रामफूल के पुत्र मूल खातेदार को दादा समान ही प्यार व स्नेह करते थे मूल खातेदार मंगला की मृत्यु भी रामफूल के पास हुई थी समस्त कियाकर्म रामफूल ने ही किया था। मूल खातेदार मंगला ने अपने अंतिम समय मे मृत्यु से पूर्व दिनांक 26.12.1996 को अपनी पत्नी की पूर्ण सहमति से दो गवाहान के समक्ष वसीयत तहरीर व तकमील नोटेरी पब्लिक के समक्ष करवाई थी। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पिता व पति रामकल्याण पुत्र रामकुवांर मीना ने किसी हक अधिकार के बिना, बिना किसी कब्जे काश्त के, तथाकथित गोद पुत्र बनकर अपने नाम नामांतकरण खुलवा लिया जिसकी की रामकल्याण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है उक्त तथाकथित इन्द्राज वादीगण के प्रति क्लेदम बेअसर एवं प्रभावशुन्य है ।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला जयपुर

उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी / प्रतिवादी सं. 01 लगायत 05 ने दिनांक 28.3.2023 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश किया कि वादीगण ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए तथाकथित जारी एवं फर्जी वसीयत के आधर पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने के लिए वाद पेश किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता के पक्ष मे मृतक मंगला द्वार निष्पादित रजिर्टड गोदनामा दिनांक 25.01.1983 को चुनौती देते हुए वाद पेश किया है तथा रामकल्याण को मंगला द्वारा गोद नही लिया जाना वर्णित किया है। भूमि वादग्रस्त के संबंध मे राजस्व वाद उनवानी मंगला बनाम नानगा पहले से ही लम्बित है तथा एक वाद वादीगण द्वारा ए0डी0जे0 कोर्ट बस्सी मे पूर्व से प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वाद पत्र मे मुख्य अनुतोष गोदनामे को निरस्त कराने का है। वादीगण द्वार प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से किसी भी अवस्था मे चलने योग्य नही है। वाद उनवानी मंगला बनाम नानगा राजस्व न्यायालय मे वर्ष 1983 से विचाराधीन है उक्त वाद के साथ प्रस्तुत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 मु0नं0 237/1983 उनवानी मंगला बनाम नानगा निर्णय दिनांक 21.04.1994 के द्वारा माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश प्रथम जयपुर द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध मे तहसीलदार,बस्सी को रिसीवर नियुक्त कर विवादित आराजी को कब्जे मे लिया हुआ है। इसलिए वादीगण का वाद खारीज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 5 की ओर से मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीगण मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावें।

वादीगण / अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि विवादित आराजी के मूल खातेदार की अंतिम इच्छा पत्र, अंतिम वसीयत दिनांक 26.12.1996 के आधार पर वादीगण ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया है जिसका निर्णय करने का अधिकार माननीय न्यायालय को ही है। प्रतिवादीगण के पिता के पक्ष मे निष्पादित गोदनामा विधि विरूद्व रजिस्ट्रर्ड गोदनामा है जिसका कानूनी महत्व प्रारम्भतया ही शून्य है। कानूनन गोद पुत्र के लिए गोद देने वाले माता–पित एवं गोद लेने वाले माता–पिता दोनों पक्ष की सहमति आवश्यक है साथ ही गोद पुत्र की आयु 16–18 वर्ष होनी चाहिए। तथाकथित गोदनामा प्रभावशून्य है। पूर्व वाद मंगला बनाम नानगा मे वादीगण पक्षकार नही है। तथा ना ही वह वाद वादीगण के पिता व पति के पक्ष मे की गई वसीयत के संदर्भ मे है। वसीयत मे वर्णित अन्य भूमि जो वर्तमान मे आबादी मे संपरिर्वतित हो चुकी है के बाबत वादपत्र सिविल न्यायालय मे पेश कर रखा है। आबादी भूमि के बाबत सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है अतः प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को भ्रमित करने हेतु पेश किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे उठाये गये बिन्दूओं पर तनकीयात कामय की जाकर साक्ष्य सबूत लेकर ही निर्णय किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश किया है। कानूनन वादीगण को सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत को प्राबेट करवाना चाहिए था। उक्त आराजी के संदर्भ मे पूर्व मे ही एक वाद राजस्व न्यायालय मे पेश किया गया जिस वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट0 मुकदमा नं. 237/1983 उनवानी मंगला बनाम नानगा के निर्णय दिनांक 21.04.1994 के द्वारा विवादित आराजी पर तहसलीदार बस्सी को रिसीवर नियुक्त किया गया है। इसलिए वादीगण का हस्तगत वाद रेस्जयुडिकेटा की श्रेणी मे आता है। पत्रावली मे प्रस्तुत छायाप्रति गोदनामा दिनांक 14.01.1983 के अनुसार मंगलीराम पुत्र घीसा मीना द्वारा रामकल्याण वादीगण के पिता

अधिकारी
जिला जयपुर

जिला जयपुर

को गोद लिया जाना अंकित है। चूंकि पक्षकारान मे विवाद का मूल बिन्दू वसीयत एवं गोदनामा है। गोदनामा या वसीयतानामा कौनसा सही है इसका निर्णय सिविल न्यायालय के द्वारा ही हो सकता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 मे दिए गए प्रावधानों के अनुसार न्यायालय हाजा मे चलने योग्य नही है। वादीगण का वाद काबिल खारीज है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सहपठीत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत घोषणात्मक एंव स्थायी निषेधाज्ञा आराजी ख0नं0 22/0.4173, 41/04.2234 कुल किता 02 कुल रकबा 04.6407 हैक्टेयर वाकें ग्राम भटेसरी तहसील बस्सी आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परीधि मे होने के कारण वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जा कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/5/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :–6 ए/2023
रजू दिनांक :–12.01.2023
निर्णय दिनांक:– 23.05.2024

उनवान

1. सुन्दरदेवी पत्नी रामफूल मीना
2. नमोनारायण मीना
3. काशीराम मीना
4. बद्रीनारायण मीना
5. दीपक मीना
6. तारचन्द मीना पुत्रान रामफूल मीना जातियान मीना निवासीयान ग्राम भटेसरी तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल जयपुर ग्रामीण।

वादीगण/ अप्रार्थीगण।

बनाम

1. नात्थी देवी पत्नी रामकल्याण पुत्रवधू रामकुवांर मीना
2. शंकर पुत्र रामकल्याण पोत्र रामकुवांर मीना
3. मनमोहन मोहन पुत्र रामकल्याण पोत्र रामकुवांर मीना
4. सीमा देवी पुत्री रामकल्याण पोत्र रामकुवांर मीना
5. निधि देवी पुत्री रामकल्याण पौत्री रामकुवांर मीना जातियान मीना निवासीयान ग्राम भटेसरी तह0 बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण।
6. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण।
7. सब रजिस्टटार बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण।

दावा घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा।
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0।

दिनांक:–23.05.2024

पर्चा डिक्री

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सहपठीत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा आराजी ख0नं0 22/0.4173, 41/04.2234 कुल किता 02 कुल रकबा 04.6407 हैक्टेयर वाकें ग्राम भटेसरी तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण आदेश 07 नियम 11जा0दी0 की परीधि होने के कारण दावा खारिज किया जाता है।

23/5/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर